

यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी (राज0)

02/दावा/2019

दायरा दिनांक 03.01.2019

पीठासीन अधिकारी
श्री प्रमोद कुमार(R.A.S.)


- 1 साहबलाल आयु 51 वर्ष आ0 श्री बद्रीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम रामगंज तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)
- 2 परमानन्द आयु 52 वर्ष आ0 श्री मांगीलाल जाति माली निवासी गणेशपुरा लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)
- 3 अरुण कुमार सक्सेना आयु 51 वर्ष आ0 स्व0 श्री रामसेवक सक्सेना जाति कायस्थ निवासी लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)
- 4 श्रीमती कमलेश शर्मा आयु 42 वर्ष पत्नी श्री राजेश कुमार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ब्रह्मपुरी लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)

—वादीगण—

बनाम

- 1 सुरेन्द्र सिंह हाडा आयु 50 वर्ष आ0 श्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम 2 ए 8 रंगबाडी योजना कोटा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा राजस्थान।
- 2 बृजराज सिंह हाडा आयु 42 वर्ष आ0 श्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी 654 महावीर नगर द्वितीय कोटा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा (राज0)
- 3 नरेन्द्र सिंह आयु 38 वर्ष आ0 श्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी 654 महावीर नगर द्वितीय कोटा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा (राज0)
- 4 श्रीमती भंवर बाई आयु 48 वर्ष पुत्री श्री भंवर सिंह पत्नी श्री गोविन्द सिंह नरुका निवासी म0 न0 26 सेक्टर 3 रिजर्व पुलिस लाइन सवाई माधोपुर तहसील एवं जिला सवाई माधोपुर राज0।
- 5 राजेश कुमारी उर्फ राजकुमारी आयु 40 वर्ष पुत्री श्री भंवरसिंह पत्नी श्री श्रवण सिंह राजावत जाति राजपूत निवासी मं0 नं0 160/400 कुआरी फलौदी सवाई माधोपुर तहसील एवं जिला सवाई माधोपुर राज0।
- 6 हंसा उर्फ आशाकंवर आयु 37 पुत्री श्री भंवर सिंह पत्नी श्री जितेन्द्र सिंह राजावत जाति राजपूत एक मिनार की मस्जिद के पास छावनी रामचन्द्रपुरा कोटा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा राज0।




उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

साहबलाल जाति राजपूत म0 न0 एच0 78 आर0क0 कॉलोनी कृषिमण्डी

नीरू उर्फ नगेन्द्र कंवर आयु 35 वर्ष पुत्री श्री भंवर सिंह पत्नी श्री जितेन्द्र सिंह सोलंकी जाति राजपूत मं० नं० एच 78 आर० के० कॉलोनी कृषि मण्डी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा राजस्थान।

- 8 प्रयाग कंवर उर्फ प्रतावकंवर आयु 55 वर्ष पत्नी दलपत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मेरवा पोस्ट दोराड़ वाया विजयपुर जिला श्योपुर मध्य प्रदेश।
- 9 नारायण सिंह आयु 65 वर्ष आ० श्री जीवन सिंह जाति राजपूत निवासी बी 64 केरियर टाउनशिप कॉलोनी राधिका रिसोर्ट के पीछे कोटा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा राज०
- 10 राजस्थान राज्य जयें तहसीलदार इन्द्रगढ़ बून्दी (राज०)


—प्रतिवादीगण—

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आर०टी०एक्ट
बाबत् बटवारा कृषि भूमि व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक 30.04.2021

वादीगण ने अन्तर्गत धारा 53,188 में वाद पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 की कृषि भूमि खतौनी संख्या नई 52 पुरानी 54 की कृषि भूमि खसरा नं० 970 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नं० 971 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नं० 972 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नं० 973 रकबा 0.95 हैक्टेयर, खसरा नं० 974 रकबा 0.78 हैक्टेयर, खसरा नं० 976 रकबा 0.83 हैक्टेयर, खसरा नं० 977 रकबा 0.92 हैक्टेयर, कुल कित्ता 7 कुल रकबा 3.56 हैक्टेयर कृषि भूमि वाके ग्राम पापड़ी पटवार क्षेत्र पापड़ी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज० में विस्थित है। जिसके राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 में उक्त भूमि के खातेदार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अंकित है वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि वादीगण ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा गोपालसिंह आ० जीवनसिंह का सम्पूर्ण हिस्सा 1/5 व विक्रेता नारायणसिंह का 1/5 हिस्से में से 103/660 भाग अर्थात् दोनो विक्रेतागण का सम्पूर्ण खाते में हिस्सा 47/132 क्रय किया था जिसमें खसरा नं० 970 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नं० 971 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नं० 972 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नं० 973 रकबा 0.95 हैक्टेयर, खसरा नं० 974 रकबा 0.78 हैक्टेयर, खसरा नं० 976 रकबा 0.83 हैक्टेयर, कुल कित्ता 6 कुल रकबा 2.64 हैक्टेयर कृषि भूमि वादीगण ने क्रय की और मौके पर कब्जा प्राप्त कर काबिज काश्त चले आ रहे है। कृषि भूमि शामिलती खाते में होने की वजह से वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच उक्त भूमि का लगान और पिलाई आदि जमा करवाने में काफी दिक्कत आती है। वादीगण ने कई बार प्रतिवादीगण से उपरोक्त कृषि भूमि का


उपसण्ड अधिकारी
बाबरी (बून्दी)


अधिवक्ता बंटवारा करवा लेने हेतु कहा परन्तु आज तक प्रतिवादीगण टालमटोल करते चले आ रहे है। वादीगण ने अन्तिम रूप से दिनांक 10.08.2018 को प्रतिवादीगण से विधिवत बंटवारा करा लेने बाबत कहा तो प्रतिवादीगण ने बंटवारा कराने से साफ इन्कार कर दिया गया। यही वाद कारण है। और अन्त मे निवेदन किया कि वादीगण को खरीदशुदा भूमि का बंटवारा कराने का अधिकार प्राप्त होने से वादीगण का क्रय शुदा जमीन का बंटवारा कर पृथक से खाता कायम करने की डिक्री फरमायी जावें।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1,4,5 दिनांक 05.09.2019 प्रतिवादी संख्या 2,3,6,7,8,9 की रजिस्टर्ड एडी तामील सम्मन दिनांक 24.03.2021 को अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में कोई खण्डनात्मक जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 प्रदर्श 1, नक्शा ट्रेस प्रदर्श 2 एवं विक्रय दस्तावेज की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। मौखिक साक्ष्य समर्थन में वादी साहब लाल पी.डब्ल्यू 1, वादी परमानन्द पी.डब्ल्यू 2, एवं वादिनी कमलेश शर्मा पी. डब्ल्यू 3, के साक्ष्य शपथ पत्र पेश किए गए।

वादी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादी के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि वादीगण के द्वारा क्रय व कब्जे शुदा कृषि भूमि खसरा नं0 970 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नं0 971 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नं0 972 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नं0 973 रकबा 0.95 हैक्टेयर, खसरा नं0 974 रकबा 0.78 हैक्टेयर, खसरा नं0 976 रकबा 0.83 हैक्टेयर, कुल किता 6 कुल रकबा 2.64 हैक्टेयर कृषि भूमि में से वादीगण का हिस्सा 47/132 का बंटवारा किया जाकर पृथक से खाता अंकित किया जावे।


हमारे द्वारा वादीगण के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज प्रदर्श 1 नकल जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा वाद वर्णित भूमि में से हिस्सा 47/132 का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया जाकर नामान्तकरण संख्या 434 दिनांक 05.05.2017 से राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सयुक्त खाते में इन्द्राज होने से वादीगण कानूनन बंटवारा कराने के अधिकारी है। अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद पत्र प्राथमिक डिक्री किया जाता है। वाद वर्णित आराजी खसरा नं0 970 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नं0 971 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नं0


उपसप्ट अधिकारी
काबेरी (बून्दी)

972 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नं0 973 रकबा 0.95 हैक्टेयर, खसरा नं0 974 रकबा 0.78 हैक्टेयर, खसरा नं0 976 रकबा 0.83 हैक्टेयर, कुल किता 6 कुल रकबा 2.64 हैक्टेयर वाके ग्राम पापड़ी तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित कृषि भूमि में से वादीगण का हिस्सा 47/132 का बंटवारा किए जाने बाबत तहसीलदार इन्द्रगढ़ को बंटवारा कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि वह पक्षकारान को तलब कर पक्षकारान की उपस्थिति में राजस्व मण्डल बंटवारा नियम 18-21 व धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुए एवं रास्तें का निर्धारण करते हुए विधिवत प्राथमिक बंटवारा कर पालना रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस में दर्शाते हुए दिनांक 12.05.2021 से पूर्व न्यायालय हाजा में पेश कराने की सुनिश्चिचता करे।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 30.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
हादरी (बून्दी)
लाखेरा (बून्दी)

अन्तिम डिक्री ब मुकद्दमें इब्त्दाई

(O 20,Rr 6,7)

(civil Procedure Code Appendix D)

अज अदालतउपखण्ड अधिकारी..... मुकाम.....लाखेरी.....
व इजलास.....श्री प्रमोद कुमार (आर. ए. एस.).....
1साहब लाल आ0 बद्रीलाल जाति गुर्जर बनाम 1 सुरेन्द्र सिंह हाडा आ0 भंवर सिंह जाति राजपूत
वगै0 निवासी ग्राम लाखेरी तहसील इन्द्रगढ वगै0 निवासी ग्राम 2 ए 8 रंगबाडी योजना कोटा
लाडपुरा जिला कोटा (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत 53 आर0 टी0 एक्ट एक्ट

मुकदमा नम्बर.....02/दावा/2019.....सन.....2021.....
.....यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु.....हमरे.....व हाजिरी

.....श्री बालकिशन रायका एडवोकेटमिनजानिब मुद्ई रुबरु.....पैरोकार सरकार.....
.....मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि
वादीगण का वाद पत्र अन्तिम डिक्री किया जाता है कि बंटवारा कमिश्नर तहसीलदार इन्द्रगढ की रिपोर्ट के
मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 खाता संख्या नया 172 वाके ग्राम पापडी तहसील इन्द्रगढ जिला
बून्दी में वर्णित आराजी खसरा नं0 970/1 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 972/1 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0
973/1 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 974 रकबा 0.78 है0 किता 4 रकबा 0.94 हैक्टेयर कृषि भूमि वादीगण
के हिस्से में रहेगी जिसमें वादी संख्या 1 का हिस्सा 7/20, वादी संख्या 2 का हिस्सा 7/20, वादी संख्या
3 का हिस्सा 1/5, वादी संख्या 4 का हिस्सा 1/10 रहेगा। एवं खसरा नं0 970/2 रकबा 0.01 है0, खसरा
नं0 971 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 972/2 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 973 रकबा 0.95 है0, खसरा नं0
976 रकबा 0.70 है0 कुल किता 5 योग रकबा 1.70 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादीगण के हिस्से में रहेगी जिसमें
प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 181/2040, प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 181/2040, प्रतिवादी संख्या 3 का
हिस्सा 181/2040, प्रतिवादी संख्या 4 का हिस्सा 151/13600, प्रतिवादी संख्या 5 का हिस्सा 151/13600,
प्रतिवादी संख्या 6 का हिस्सा 151/13600, प्रतिवादी संख्या 7 का हिस्सा 151/13600, प्रतिवादी संख्या 8
का हिस्सा 132/425, प्रतिवादी संख्या 9 का हिस्सा 116/1700 रहेगा।निज.....
.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद
बशरहफीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी
तकका अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख01.....माह.. ..07... सन...
2021.....को जारी की गई।

दस्तखत

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

मुहर	ओहदा	किस	किस
मुद्ई			
1 स्टाम्प अजीदाव			1 स्टाम्प अजीदाव
2 स्टाम्प कालतनामा			2 स्टाम्प अजी
3 स्टाम्प बजट सफा			3 महनतना कमील
4 महनतना कमील			4 खर्चा गवाहीन
5 खर्चा गवाहीन			5 फीस कमिश्नर
6 फीस कमिश्नर			6 बाबत इजराय इल्मनामा
7 बाबत इजराय इल्मनामा			7 मुलकफिक
मीजान			मीजान

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।


- 2 परमानन्द आयु 52 वर्ष आ० श्री मांगीलाल जाति माली निवासी गणेशपुरा लाखेरी लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज०)
- 3 अरुण कुमार सक्सेना आयु 51 वर्ष आ० स्व० श्री रामसेवक सक्सेना जाति कायस्थ निवासी लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज०)
- 4 श्रीमती कमलेश शर्मा आयु 42 वर्ष पत्नी श्री राजेश कुमार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ब्रह्मपुरी लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज०)

—वादीगण—

बनाम

- 2 बृजराज सिंह हाड़ा आयु 42 वर्ष आ० श्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी 654 महावीर नगर द्वितीय कोटा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा (राज०)
- 3 नरेन्द्र सिंह आयु 38 वर्ष आ० श्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी 654 महावीर नगर द्वितीय कोटा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा (राज०)
- 4 श्रीमती भंवर बाई आयु 48 वर्ष पुत्री श्री भंवर सिंह पत्नी श्री गोविन्द सिंह नरुका निवासी म० न० 26 सेक्टर 3 रिजर्व पुलिस लाइन सवाई माधोपुर तहसील एवं जिला सवाई माधोपुर राज०।
- 5 राजेश कुमारी उर्फ राजकुमारी आयु 40 वर्ष पुत्री श्री भंवरसिंह पत्नी श्री श्रवण सिंह राजावत जाति राजपूत निवासी मं० नं० 160/400 कुआंरी फलौदी सवाई माधोपुर तहसील एवं जिला सवाई माधोपुर राज०।
- 6 हंसा उर्फ आशाकंवर आयु 37 पुत्री श्री भंवर सिंह पत्नी श्री जितेन्द्र सिंह राजावत जाति राजपूत एक मिनार की मस्जिद के पास छावनी रामचन्द्रपुरा कोटा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा राज०।
- 7 नीरू उर्फ नगेन्द्र कंवर आयु 35 वर्ष पुत्री श्री भंवर सिंह पत्नी श्री जितेन्द्र सिंह सोलंकी जाति राजपूत मं० नं० एच 78 आर० के० कॉलोनी कृषि मण्डी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा राजस्थान।
- 8 प्रयाग कंवर उर्फ प्रतावकंवर आयु 55 वर्ष पत्नी दलपत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मेरवा पोस्ट दोराड़ वाया विजयपुर जिला श्योपुर मध्य प्रदेश।
- 9 नारायण सिंह आयु 65 वर्ष आ० श्री जीवन सिंह जाति राजपूत निवासी बी 64 केरियर टाउनशिप कॉलोनी राधिका रिसोर्ट के पीछे कोटा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा राज०
- 10 राजस्थान राज्य जयें तहसीलदार इन्द्रगढ़ बून्दी (राज०)

—प्रतिवादीगण—


उपसमरूप अधिकारी
लाखेरी लाखेरी (बून्दी)

संशोधित अन्तिम डिक्री ब मुकद्दमें इब्तादाई

(O 20,Rr 6,7)

(civil Procedure Code Appendix D)

अदालतउपखण्ड अधिकारी..... मुकाम.....लाखेरी.....
 व इजलास.....श्री प्रमोद कुमार (आर. ए. एस.).....
 1 साहब लाल आ0 बद्रीलाल जाति गुर्जर बनाम 1 सुरेन्द्र सिंह हाडा आ0 भंवर सिंह जाति राजपूत
 वगै0 निवासी ग्राम लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ वगै0 निवासी ग्राम 2 ए 8 रंगबाडी योजना कोटा
 वगैरह (वादीगण) लाडपुरा जिला कोटा (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत 53 आर0 टी0 एक्ट एक्ट

मुकदमा नम्बर.....02/दावा/2019.....सन.....2021.....
यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु.....हमरे.....व हाजिरी

.....श्री बालकिशन रायका एडवोकेटमिनजानिब मुद्दई रुबरु.....पैरोकार सरकार.....
मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि
 वादीगण का वाद पत्र अन्तिम डिक्री किया जाता है कि बंटवारा कमिश्नर तहसीलदार इन्द्रगढ़ की रिपोर्ट के
 मुताबिक जमाबन्दी सम्बत् 2072-2075 खाता संख्या नया 172 वाके ग्राम पापड़ी तहसील इन्द्रगढ़ जिला
 बून्दी में वर्णित आराजी खसरा नं0 970/1 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 972/1 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0
 973/1 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 974 रकबा 0.78 है0 किता 4 रकबा 0.94 हैक्टेयर कृषि भूमि वादीगण
 के हिस्से में रहेगी जिसमें वादी संख्या 1 का हिस्सा 7/20, वादी संख्या 2 का हिस्सा 7/20, वादी संख्या
 3 का हिस्सा 1/5, वादी संख्या 4 का हिस्सा 1/10 रहेगा एवं खसरा नं0 970/2 रकबा 0.01 है0, खसरा
 नं0 971 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 972/2 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 973 रकबा 0.83 है0, खसरा नं0
 976 रकबा 0.83 है0 कुल किता 5 योग रकबा 1.70 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादीगण के हिस्से में रहेगी जिसमें
 प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 181/2040, प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 181/2040, प्रतिवादी संख्या 3 का
 हिस्सा 181/2040, प्रतिवादी संख्या 4 का हिस्सा 151/13600, प्रतिवादी संख्या 5 का हिस्सा 151/13600,
 प्रतिवादी संख्या 6 का हिस्सा 151/13600, प्रतिवादी संख्या 7 का हिस्सा 151/13600, प्रतिवादी संख्या 8
 का हिस्सा 132/425, प्रतिवादी संख्या 9 का हिस्सा 116/1700 रहेगा।निज.....
मुबलिग.....बाबत.....खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद
 बशरहफीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी
 तकका अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख15.....माह.. ..07... सन.
 2021.....को जारी की गई।

दस्तखत

मुहर

ओहदा

मुहर	ओहदा	मुहर	ओहदा
1 दस्तखत अर्जीदाता	कसब	1 दस्तखत अर्जीदाता	कसब
2 दस्तखत बकायलगा	कसब	2 दस्तखत अर्जी	कसब
3 दस्तखत कसब कसब	कसब	3 दस्तखत बकायलगा	कसब
4 दस्तखत बकायलगा	कसब	4 दस्तखत कसब कसब	कसब
5 दस्तखत कसब कसब	कसब	5 दस्तखत बकायलगा	कसब
6 दस्तखत कसब कसब	कसब	6 दस्तखत कसब कसब	कसब
7 दस्तखत कसब कसब	कसब	7 दस्तखत कसब कसब	कसब

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
 लाखेरी जिला बून्दी


- 2 परमानन्द आयु 52 वर्ष आ० श्री मांगीलाल जाति माली निवासी गणेशपुरा लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज०)
- 3 अरुण कुमार सक्सेना आयु 51 वर्ष आ० स्व० श्री रामसेवक सक्सेना जाति कायस्थ निवासी लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज०)
- 4 श्रीमती कमलेश शर्मा आयु 42 वर्ष पत्नी श्री राजेश कुमार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ब्रह्मपुरी लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज०)

—वादीगण—

बनाम

- 2 बृजराज सिंह हाड़ा आयु 42 वर्ष आ० श्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी 654 महावीर नगर द्वितीय कोटा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा (राज०)
- 3 नरेन्द्र सिंह आयु 38 वर्ष आ० श्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी 654 महावीर नगर द्वितीय कोटा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा (राज०)
- 4 श्रीमती भंवर बाई आयु 48 वर्ष पुत्री श्री भंवर सिंह पत्नी श्री गोविन्द सिंह नरुका निवासी म० न० 26 सेक्टर 3 रिजर्व पुलिस लाइन सवाई माधोपुर तहसील एवं जिला सवाई माधोपुर राज०।
- 5 राजेश कुमारी उर्फ राजकुमारी आयु 40 वर्ष पुत्री श्री भंवरसिंह पत्नी श्री श्रवण सिंह राजावत जाति राजपूत निवासी म० नं० 160/400 कुआंरी फलौदी सवाई माधोपुर तहसील एवं जिला सवाई माधोपुर राज०।
- 6 हंसा उर्फ आशाकंवर आयु 37 पुत्री श्री भंवर सिंह पत्नी श्री जितेन्द्र सिंह राजावत जाति राजपूत एक मिनार की मस्जिद के पास छावनी रामचन्द्रपुरा कोटा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा राज०।
- 7 नीरू उर्फ नगेन्द्र कंवर आयु 35 वर्ष पुत्री श्री भंवर सिंह पत्नी श्री जितेन्द्र सिंह सोलंकी जाति राजपूत म० नं० एच 78 आर० के० कॉलोनी कृषि मण्डी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा राजस्थान।
- 8 प्रयाग कंवर उर्फ प्रतावकंवर आयु 55 वर्ष पत्नी दलपत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मेरवा पोस्ट दोराड़ वाया विजयपुर जिला श्योपुर मध्य प्रदेश।
- 9 नारायण सिंह आयु 65 वर्ष आ० श्री जीवन सिंह जाति राजपूत निवासी बी 64 केरियर टाउनशिप कॉलोनी राधिका रिसोर्ट के पीछे कोटा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा राज०
- 10 राजस्थान राज्य जयें तहसीलदार इन्द्रगढ़ बून्दी (राज०)

—प्रतिवादीगण—


उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी